प्रारुप–28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि0ख0-मोरी(उ0का0)

प्रारुप–30.4

दिनांक 28/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत थुनारा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री मोहर सिंह राणा	मोहर सिंह
(2)	" कमल सिंह राणा	कमल सिंह
(3)	" काना सिंह राणा	काना सिंह
(4)	" विजेन्द्र सिंह राणा	विजेन्द्र सिंह
(5)	" सुरेन्द्र	सुरेन्द्र सिंह
(6)	" विरेन्द्र सिंह राणा	विरेन्द्र सिंह
(7)	श्रीमती संजोक्ता देवी	संजोक्ता देवी
(8)	" निर्मला देवी	निर्मला
(9)	" ऊषा देवी	ऊषा देवी
(10)	श्री ईश्वर सिंह राणा	ईश्वर सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि0ख0-मोरी(उ0का0)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–डामटी थुनारा
तहसील–मोरी, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.40 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) निजी भूमि 0.10 हे0 अर्थात कुल 2.25 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डामटी थुनारा द्वारा दिनांक 28/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनारा–लुदराला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.15 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि0ख0-मोरी(उ0का0)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006
के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डामटी थुनारा के विद्युतीकरण कार्य हेतु (1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, निजी भूमि 0.1 हे0 अर्थात कुल 2.25 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–मोरी) की दिनांक 10/10/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एस॰ एस॰ नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री एस॰ एस॰ नेगी उपजिलाधिकारी
2. श्री आर॰ एन॰ श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री पवन पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री मति नीटू देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र

उपजिलाधिकारी पुरोला

सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0-मोरी उ0का0

सदस्य श्रीमती

नीटू देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण कार्य हेतु **2.15** हे0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण कार्य हेतु **2.15** हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील– मोरी

जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील मोरी
जनपद उत्तरकाशी

52 52

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District -Uttarkashi

No--- 154

Dated-----23/11/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.15** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **UPCL** (name of user agency) for **Elecrification work** (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Damti Thunara in Mori Tehsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.15** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT- UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan, I.A.S District Collector Uttarkashi on Dated 23/11/2017 at time 11.00 PM in which application claiming rights in **Damti Thunara** area measuring 2.15 hect. for the electrification work of forest land under FRA. 2006 of the folloiwing applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

District Collector
Chairman- District Level Committee

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

54

It is further certified that–minuts of Meeting of electrification work in village Damti Thunara. Regarding FRA is as following.

54

S. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had carried out for the enteir 2.15 hectares of forest area proposed for diversion.A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee(s) Sub Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as requires under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Nagar Palika Parishad has given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of electrification work is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural communities	Yea copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
ग्राम डामटी थुनारा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

वन क्षेत्राधिकारी
कोठीगाड रेंज

उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी